

राजस्थान सरकार  
निदेशालय पशुपालन

एफ.वी.5(1)(व0सू)स्था/अ/प्रशि/2019/

जयपुर, दिनांक 30.01.2020

समस्त अतिरिक्त निदेशक, क्षेत्र, /बी.पी.लैब, पशुपालन विभाग,  
समस्त संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग  
उप निदेशक, पशुपालन विभाग, कुचामनसिटी  
समस्त संबंधित उपनिदेशक, पशुपालन विभाग

विषय :- संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक/वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारियों की संतान संबंधी सूचना भिजवाने बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि शासन की आज्ञा क्रमांक प.4(7)पपा/2018 दिनांक 06.09.2018 के द्वारा संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक की दिनांक 1.04.2018 एवं आज्ञा क्रमांक प.3(100)पपा/2016 दिनांक 20.04.2017 के द्वारा वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारियों की दिनांक 01.04.2017 की स्थिति में जारी अन्तिम वरिष्ठता सूची का प्रकाशन विभागीय वेब साईट पर किया जा चुका है। जिसका अवलोकन कर निम्न सूचना भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।


संयुक्त निदेशक की दिनांक 1.04.2018 की स्थिति में जारी अन्तिम वरिष्ठता सूची में उल्लेखित क्रम संख्या 1 से 26 तक के अधिकारियों के संतान संबंधी प्रमाण पत्र।

उपनिदेशक की दिनांक 1.04.2018 की स्थिति में जारी अन्तिम वरिष्ठता सूची में उल्लेखित क्रम संख्या 1 से 70 तक के अधिकारियों संतान संबंधी प्रमाण पत्र

वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारियों की दिनांक 1.04.2017 की स्थिति में जारी अन्तिम वरिष्ठता सूची में उल्लेखित क्रम संख्या 19 से 23 एवं क्रम संख्या तथा क्रम संख्या 37 से 61 एवं क्रम संख्या 90 से 170 तक के अधिकारियों के संतान संबंधी प्रमाण पत्र

कार्मिक विभाग के पत्रांक दिनांक 20.06.2001 के तहत संलग्न प्रपत्र में संतान संबंधी प्रमाण पत्र संबंधित अधिकारी से प्राप्त कर नियंत्रण अधिकारी द्वारा प्रमाणित करके दिनांक 04.02.2020 तक आवश्यक रूप से [shekhatwatvs.vet@gmail.com](mailto:shekhatwatvs.vet@gmail.com) पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। समय पर संतान संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होने पर नियंत्रण अधिकारी/संबंधित अधिकारी स्वयं जिम्मेदार होंगे।

संलग्न:- प्रपत्र

  
उप निदेशक  
(आई.टी.)

कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 7(1) कार्मिक/क-2/96(33/01)  
दिनांक 20.06.2001 के क्रम में कर्मचारी द्वारा दिया जाने वाला सन्तान सम्बन्धी  
: घोषणा पत्र :

में ..... पद - .....  
कार्यालय/विभाग - .....एतद द्वारा घोषणा  
करता/करती हूँ कि :-

1. दिनांक 31.05.2002 तक मेरे बच्चों (पुत्र/पुत्री) की संख्या - ..... थी।

क्र. सं.	नाम	पुत्र / पुत्री	जन्म तिथि
1			
2			
3			
4			

2. दिनांक 01 जून 2002 को एवं इसके पश्चात मेरे बच्चों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है।

अथवा

3. दिनांक 01 जून 2002 को अथवा इसके पश्चात मेरे बच्चों की संख्या में वृद्धि हुई है एवं  
वर्तमान में मेरे बच्चों (पुत्र/पुत्री) की कुल संख्या - ..... है।

क्र. सं.	नाम	पुत्र / पुत्री	जन्म तिथि
1			
2			
3			
4			

हस्ताक्षर

नाम - .....

पद - .....

पदस्थापन स्थान - .....

प्रमाणित सक्षम अधिकारी  
मय कार्यालय मोहर